Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 81TODABHIM (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri GHANSHYAM (Name)

VILLAGE POST LAHAWAD TEHSIL NADOTI DISTRICT GANGAPUR CITY(Address) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized/registered political party)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

PLACE- GOVERNMENT COLLEGE KARAULI

DATED - 03-12-2023

Returning Officer

ASSEMBLY CONSTITUENCY TODABHIM (81) (S.T.)

Sub Divisional Office कारमा केन टोडामीम (छ1) Sub divisional Magistrate TODABHIM न जिला-संगापुर निर्दी

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 81टोडाभीम (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण मे, मैं घोषणा करती हूं कि

श्री घनश्याम (नाम)

ग्राम पोस्ट ल्हावद तहसील नादौती जिला गंगापुर सिटी (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं |

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं | स्थान राजकीय महाविद्यालय करौली

दिनांक 03.12.2023

(स्नीता मीना)

रिटर्निंग ऑफिसर (सुनीता मीना)

विधानसभा क्षेत्र 81टोडाभीमा (अ.ज.जॉ.)

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम